न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 92/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. चमनसिंह पिता नेणसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. धमेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नरेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मनोहरसिंह पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. कानसिंह पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कमला कुंवर पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती स्नेहलता कुंवर पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती उषा कंवर पिता उगरसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. लक्ष्मणसिंह पिता माधुसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
10. गोपालसिंह पिता छगनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
11. मदनसिंह पिता छगनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जीतमल पिता कालूलाल जी लोढा, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2. गोरधनसिंह पिता नेणसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल वी.बी.आर. आई. कॉलेज के सामने, बड़गांव मेन रेड़, साईफन चौराहा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. लहरसिंह पिता नेणसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल हनुमान मंदिर के आगे, खारोल कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

4. नरेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

5. योगेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती अनिता कुंवर पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती भारती कुंवर पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती सीमा कुंवर पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

9. श्रीमती हंसा कुंवर बेवा सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल गंगागली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)

10. भूपेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल वी.बी.आर. आई. कॉलेज के सामने, बड़गांव मेन रेड़, साईफन चौराहा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11. लोकेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल वी.बी. आर.आई. कॉलेज के सामने, बड़गांव मेन रेड़, साईफन चौराहा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती वन्दना कंवर पिता गोरधनसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा हाल वी.बी.आर.आई. कॉलेज के सामने, बड़गांव मेन रेड़, साईफन चौराहा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 22.06.2015 प्र.सं. 24/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मनीष शर्मा अभि.रे.सं. 1, 2, 3, 5, 7, 9

———::———

निर्णय **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की भूमि पर स्थित मकान राजस्व ग्राम गोगुन्दा में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 5326 रकबा 0.0950 हैक्टर होकर वादी सम्पूर्ण भूमि का मकान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में उक्त मकान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अतः वादी को वाद वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–06–2015 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी नंबर 5326 रकबा 0.0950 हैक्टर में से 0.0330 हैक्टर का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 22–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 9 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें बिना तामिल कराये एवं बिना सुने निर्णय

पारित किया गया है, जिससे उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। जानकारी होती ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2015 की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 21–08–2012 तक यह अपील प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 22–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, लेकिन राजस्व कैम्प के नोटिस अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर तामील होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं होने से न्यायाहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि उगरसिंह की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी थी, अधिनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही गलत तरीके से की गयी है, क्योंकि उनके द्वारा वाद दिनांक 18–05–2015 को पेश करना बताया गया है, जबकि वाद वर्ष 2016 में पेश किया गया है, जिसे काटकर 2015 किया गया है तथा वाद को पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना मार्क किये ही दर्ज किया जाकर अगली पेशी पर अपीलान्टगण को बिना कोई नोटिस जारी किये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 18–05–2015 को दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22–06–2015 नियत की गयी एवं उसी दिनांक को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की बिना तामिल हुए एवं उन्हें बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के

सिद्धान्तों के विरूद्ध है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि प्रतिवादी संख्या 10 उगरसिंह की मृत्यु दिनांक 26–07–2009 को हो चुकी थी, जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है जो अवैध एवं शून्य है, जैसाकि आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1047 (SC), आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 208 एवं आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 236 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2015 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चमनसिंह पिता नेणसिंह जी राजपूत निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **जीतमल पिता कालूलाल जी लोढा निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**92 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गोगुन्दा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**...माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मनीष शर्मा.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2015 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: